राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2740/2025 सोना भोगी, अध्यापिका III	राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	08.05.2025	श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक
2.	2741/2025 तमन्ना कुमारी शर्मा, अध्यापिका III	राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	08.05.2025	श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 02.06.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2740/2025 श्रीमति सोना भोगी बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार यह कि अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार अध्यापिका के पद पर दिनांक 26–5–2022 को राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बलकासा 47003 पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बून्दी में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापिका ग्रेड III लेवल प्रथम के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बलकासा ब्लाक केशोरायपाटन जिला बुन्दी में पदस्थापित थी। जहां से अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशेष मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय पापडी ब्लांक केशोरायपाटन जिला बून्दी में कर दिया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.12.2024 के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर कमें अपील प्रस्तुत की जो कि 1800/2025 दर्ज की जाकर माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 16.05.2025 तक प्रभावी है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी द्वारा अन्य महिला कार्मिक श्रीमति तम्मना कुमारी भी अपीलार्थी के विद्यालय बलकासा में अपीलार्थी के साथ दिनांक 16.05.2022 को प्रथम नियुक्ति

तिथी से पदस्थापित हुई है और अपीलार्थीया थी। तथा दोनो को आदेश दिनांक 06.12.2025 को अधिशेष करते हुए उसका स्थानान्तरण रा० बा० उच्च मा०वि० बलकासा ब्लाक केशोरायपाटन जिला बून्दी से राजकिय उच्च मा०. विद्यालय कोडक्या ब्लाक केशारायपाटन जिला बून्दी में कर दिया। दिनांक 06.12.2024 स्थानान्तरण सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 30 पर तथा अन्य महिला कार्मिक का नाम कम संख्या 29 पर है इनके द्वारा एक संयुक्त परिवेदना दिनांक 13.01.2025 को दी जिसमें अंकित किया गया कि मैं तमन्ना कुमारी एवं सोना योगी दोनो की नियुक्ति रा०बा० उच्च मा० विद्यालय बलकासा ब्लाक केशोरायपाटन जिला बून्दी में हुई हम दोनो को अधिशेष कार्मिक में कार्यरत थी। हम दोनो कार्मिकों की नियुक्ति तिथि एवं कार्यग्रहण तिथी 26.05.2022 एक ही दिनांक की है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में 31.12.2024 (अनुलग्नक–2) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन दिनांक 13.01.2025 का निस्तारण कराया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2740/2025 श्रीमति सोना भोगी बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष